

International Multidisciplinary
Research Journal

*Indian Streams
Research Journal*

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka	Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken	Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri
Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya	Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney	Ghayoor Abbas Chotana Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania
Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania	Ilie Pinteau, Spiru Haret University, Romania
Anurag Misra DBS College, Kanpur	Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Xiaohua Yang PhD, USA
Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania	George - Calin SERITAN Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi	More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India	Iresh Swami Ex - VC. Solapur University, Solapur	Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur
R. R. Patil Head Geology Department Solapur University,Solapur	N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur	R. R. Yallickar Director Managment Institute, Solapur
Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel	Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune	Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik
Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur	K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia	S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai
Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai	Sonal Singh Vikram University, Ujjain	Alka Darshan Shrivastava Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar
Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune	G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
Awadhesh Kumar Shirotiya Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)	Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director,Hyderabad AP India.	S.KANNAN Annamalai University,TN
	S.Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad	Satish Kumar Kalhotra Maulana Azad National Urdu University
	Sonal Singh, Vikram University, Ujjain	



माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी का अध्ययन

डॉ. (श्रीमती) सी. मसीन¹, नियति शम्भरकर²

¹निर्देशक, एम. ए. (मनोविज्ञान), एम.एड., पी-एच.डी
पूर्व रीडर, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

²शोधकर्ता, एम. एस सी., एम.एड., नेट

शोध सार

शोध में शोधकर्ता ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में विद्यार्थियों की जानकारी का अध्ययन किया है। इसके लिए बालाघाट जिले के समस्त शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से यादृच्छिक न्यादर्श चयन विधि द्वारा 900 विद्यार्थियों का चयन किया। शोध के लिए विवरणात्मक सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया। यादृच्छिक न्यादर्श चयन विधि द्वारा बालाघाट जिले के शासकीय विद्यालयों में से 700 तथा अशासकीय विद्यालयों में से 200 इस प्रकार कुल 900 विद्यार्थियों का चयन किया। उपकरण के लिए शोधकर्ता ने स्वनिर्मित प्रश्नावली का विद्यार्थियों हेतु निर्माण किया जिसके परिणामों का विश्लेषण प्रतिशत सांख्यिकी द्वारा किया गया। परिणामों के निष्कर्ष से प्राप्त हुआ कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में विद्यार्थियों में पर्याप्त जानकारी पाई गई। विद्यार्थियों की जानकारी को बढ़ाने हेतु विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।

1. प्रस्तावना

शिक्षा से समाज का विकास होता है। यह समाज के नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में सहायक है या ऐसा भी कहा जा सकता है कि शिक्षा ही मानव का सर्वांगीण विकास करती है तो भी उचित है। हमारे देश में शिक्षा की प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए



प्रारंभ से समीतियों और आयोगों का गठन किया गया है जिसका साकार रूप संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के रूप में सन् 2009 में सामने आया जिसे अप्रैल सन् 2010 से देश के विभिन्न हिस्सों में लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

• 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को इस आयुवर्ग की प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य प्राप्त करने का अधिकार होगा।

• नामांकन के संबंध में किसी प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता की बाध्यता नहीं है।

• बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जवाबदेही राज्य एवं केंद्र सरकारों की होगी।

• दुर्बल वर्ग एवं अलाभान्वित समूह के बालकों को पड़ोस के निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।

• प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी और जहाँ शिक्षक अप्रशिक्षित हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।

• किसी भी बच्चे को किसी भी

कक्षा में रोके रखने अर्थात् कक्षा 8 तक फेल करने पर प्रतिबंध है।

• बच्चों को शारीरिक दण्ड देने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना प्रतिबंधित।

• निर्वाचित प्रतिनिधियों, अभिभावक एवं शिक्षक की शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा।

• समस्त शालाओं शासकीय/ निजी में न्यूनतम अंधोसंरचना (शाला भवन, शौचालय, किचन शेड, खेल का मैदान, बाउंड्री वाल, लाईब्रेरी तथा आवश्यक पठन-पाठन सामग्री व उपकरण आदि) की उपलब्धता तीन वर्ष में सुनिश्चित करना।

• बालकों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

• सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था करना।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

समपथ कुमार, डी. (2012) के शोध अध्ययन का उद्देश्य भारत में शिक्षा के सुधार के संबंध में उपलब्धि और अपूर्ण कार्यों के

संबंध में अध्ययन करना था। इन्होंने भारत के शैक्षिक सुधारों का समीक्षात्मक अध्ययन किया। इस शोधपत्र में पिछले दो दशक में किए गए शिक्षा तंत्र के सुधारों के प्रयास और इस दौरान शिक्षा के विकास का मूल्यांकन किया गया है तथा शिक्षा की सुलभ उपलब्धता एवं क्रियान्वयन के मार्ग सुझाए गए हैं। प्रसाद, बी. (2012) ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की संक्षिप्त समीक्षा की है। इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बताया गया है। रायजादा, आर. (2012) ने अपने शोध से प्राप्त किया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के सुपरिणाम भी सामने आये हैं जैसे गुणात्मक शिक्षा के लिए उचित शिक्षकों एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन, उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण होने की प्रक्रिया समाप्त, प्रतिभा पर्व योजना का प्रारंभ और शिक्षकों को चुनाव और जनगणना के कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा और 5 बच्चों को भोपाल के कटारा हिल्स में स्थित रियॉन पब्लिक स्कूल में प्रवेश देना तय हुआ। चाचा, जी.एन. एवं झोंग वाए. (chacha, G.N and Zhong V.Y., 2013) ने अपने शोध में पाया कि तंजानिया के कई ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों के उपलब्ध होने की प्रक्रिया में अभिभावक की शिक्षा, आर्थिक स्थिति और वातावरणीय परिस्थितियाँ बड़ी चुनौतियाँ हैं।

शोध अध्ययन की आवश्यकता- शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा के बिना विकास

और गति दोनों ही रुक जाती है। निरंतर विकास के लिए शिक्षा की प्रक्रिया का अनवरत चलते रहना आवश्यक है। जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें विद्यार्थी कहा जाता है किंतु मेहनत और लगन व्यक्ति को ऊँचाईयों तक ले जाते हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद् जॉन ड्युई का कहना है कि— “ उस किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं जिससे असली जिंदगी सुधरती ना हो। शिक्षा जीवन जीना है, शिक्षा जीवन की तैयारी मात्र नहीं है। शिक्षा नौकरी की तैयारी नहीं है अपितु वर्तमान में एक बेहतर जीवन जीने का तरीका है, जिसके अंतर्गत हम अपनी जिंदगी से जुड़े सवालों, आवश्यकताओं व समस्याओं को समझकर उनकी पूर्ति एवं समाधान कर सकें।” बच्चों का संज्ञानात्मक स्तर एवं आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। उनके अनुभवों में भी विविधता होती है। सीखने का प्रारंभ बाल्यकाल से ही हो जाता है बालक अपने तरक्की के मार्ग खोजने लगता है और सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाता है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए अनेकों प्रयास किये गये हैं और देश का भविष्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाने के कदम उठाये जा रहे हैं। बालक का अपनी शिक्षा के बारे में सचेत और जानकार रहना आवश्यक है क्योंकि किसी भी योजना का क्रियान्वयन बालक के लिए ही किया जाता है। यदि बालकों को अपनी आवश्यकता का ज्ञान होगा तो वे अपने लिए सीखने में आने वाली बाधाओं को जान पाएँगे और उन बाधाओं को पार करके अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। साथ ही शासन को यह जानने में सरलता होगी की शासन की योजनाओं का सही क्रियान्वयन विद्यालयों में किया जा रहा है या नहीं। इसी तथ्य को जानने में शोधकर्ता को शोध अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई।

समस्या कथन—

“ माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी का अध्ययन”

उद्देश्य—

1. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में विद्यार्थियों को पर्याप्त जानकारी होगी।

परिकल्पना—

1. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को पर्याप्त जानकारी होगी।

शोध विधि—शोध के लिए विवरणात्मक सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया।

न्यादर्श — यादृच्छिक न्यादर्श चयन विधि द्वारा बालाघाट जिले के शासकीय विद्यालयों में से 700 तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में से 200 विद्यार्थियों का चयन किया।

उपकरण— उपकरण के लिए शोधकर्ता ने 13 प्रश्नों की प्रश्नावली का विद्यार्थियों हेतु निर्माण किया।

प्रयुक्त सांख्यिकी—उपकरण से प्राप्त परिणामों को प्रतिशत सांख्यिकी का उपयोग करके गुणात्मक विश्लेषण किया गया।

तालिका क्रमांक 1

माध्यमिक विद्यालयों में शुल्क, कक्षा, छात्रों को प्राप्त सुविधाएँ (जैसे पुस्तक, गणवेश या छात्रवृत्ति) अध्यापन, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और दण्ड के संबंध में विद्यार्थियों से प्राप्त जानकारी का विवरण

कथन क्रँ.	कथन	शासकीय माध्यमिक (N-700)		अशासकीय माध्यमिक (N-200)		योग (N-900)	
		औसत आवृत्ति	प्रतिशत	औसत आवृत्ति	प्रतिशत	औसत आवृत्ति	प्रतिशत
1	क्या आपसे विद्यालय द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है?	0	0	0	0	0	0
2	क्या आपके विद्यालय में पर्याप्त कक्षा-कक्ष है?	658	94	171	85.5	829	92.11
3	क्या आपको विद्यालय से पुस्तक, गणवेश या छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त हुई है?	700	100	151	75.5	851	94.55
4	क्या आपको शिक्षकों द्वारा सभी विषय का अध्यापन प्रतिदिन कराया जाता है?	623	89	191	95.5	814	90.44
5	क्या आपके कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देते हैं?	672	96	191	95.5	863	95.88
6	क्या आपको आपकी गलतियों पर शिक्षक दण्ड देते हैं?	00	00	00	00	00	00

तालिका क्रमांक 2

माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय, खेल के मैदान, पीने का पानी, मध्याह्न भोजन, शौचालय, शौचालय में स्वच्छता प्रबंधन और विद्यालय के वातावरण के संबंध में विद्यार्थियों से प्राप्त जानकारी का विवरण

कथन क्र.	कथन	शासकीय माध्यमिक (N-700)		अशासकीय माध्यमिक (N-200)		योग (N-900)	
		औसत आवृत्ति	प्रतिशत	औसत आवृत्ति	प्रतिशत	औसत आवृत्ति	प्रतिशत
7	क्या आपको विद्यालय में पुस्तकालय से पुस्तकें या पत्रिकाएँ आदि पढ़ने के लिए वितरित किए जाते हैं?	691	98.71	197	98.5	888	98.66
8	क्या आपके विद्यालय में खेल का मैदान है?	700	100	196	98	896	99.55
9	क्या आपके विद्यालय में पीने का स्वच्छ पानी मिलता है?	655	93.57	184	92	884	98.22
10	क्या आपको प्रतिदिन मेनू के आधार पर स्वादिष्ट भोजन मिलता है?	650	92.85	0	0	650	72.22
11	क्या आपके विद्यालय में बालक-बालिका के लिए प्रथक शौचालय है?	700	100	195	97.5	895	99.44
12	क्या आपके विद्यालय के शौचालय में स्वच्छता का प्रबंधन है?	650	92.85	198	99	749	83.22
13	क्या आपको अपने विद्यालय का वातावरण अच्छा लगता है?	680	97.14	190	95	870	96.66

परिणामों की व्याख्या—

अध्ययन के सांख्यिकीय विश्लेषण के परिणामों से स्पष्ट होता है कि शासकीय तथा अशासकीय दोनों माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। शासकीय तथा अशासकीय दोनों माध्यमिक विद्यालयों में औसतन 92.11 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार उनके विद्यालय में पर्याप्त कक्षा-कक्ष है। 99.55 प्रतिशत विद्यार्थियों को विद्यालय से पुस्तक, गणवेश या छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त हुई है। शासकीय तथा अशासकीय दोनों माध्यमिक विद्यालयों में औसतन 90.44 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षकों द्वारा सभी विषयों का प्रतिदिन अध्यापन कराया जाता है। औसतन 95.88 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षक उन्हें कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देते हैं और किसी भी विद्यार्थी ने दण्डित किए जाने के तथ्य पर सहमति व्यक्त नहीं की है। शासकीय तथा अशासकीय दोनों माध्यमिक विद्यालयों में औसतन 98.66 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें विद्यालय में पुस्तकालय से पुस्तकें या पत्रिकाएँ आदि पढ़ने के लिए वितरित किए जाते हैं। खेल का मैदान औसतन 99.55 प्रतिशत विद्यार्थियों के विद्यालय में है। शासकीय तथा अशासकीय दोनों माध्यमिक विद्यालयों में औसतन 98.22 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार पीने का स्वच्छ पानी मिलता है। शासकीय तथा अशासकीय दोनों माध्यमिक विद्यालयों में से औसतन 72.22 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें मेन्यू के आधार पर स्वादिष्ट भोजन मिलता है जो केवल शासकीय विद्यालय हैं। औसतन 99.44 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार उनके विद्यालय में बालक-बालिका के लिए प्रथक शौचालय है। शौचालय में स्वच्छता का प्रबंधन औसतन 83.22 प्रतिशत विद्यार्थियों के विद्यालयों में है और औसतन 96.66 प्रतिशत विद्यार्थियों को उनके विद्यालय का वातावरण अच्छा लगता है।

परिणाम— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों को पर्याप्त जानकारी है।

निष्कर्ष— शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में

पर्याप्त जानकारी है इससे ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों को विद्यालयों में सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं एवं यह एक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की ओर संकेत प्रदान करता है।

सुझाव –

1. विद्यालयों में अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी है किंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं भी हैं जिन्हें जानकारी नहीं है अतः उन्हें शिक्षकों विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा समय-समय पर जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
2. विद्यार्थियों को अपने विद्यालय की और अपनी आवश्यकताओं के बारे में अपने शिक्षकों को अवगत करना चाहिए जिससे समस्या के निराकरण हेतु प्रभावी निर्णय एवं समाधान किया जा सके।

सीमांकन— अध्ययन के लिए केवल बालाघाट जिले के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को लिया गया है।

भावी अनुसंधान के लिए सुझाव— शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- खेत्रपाल, बी. एस. एवं खेत्रपाल पी. (2016), निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं नियम, 2010, इन्दौर : खेत्रपाल लॉ पब्लिकेशन्स, प्रथम संस्करण, पृ. 143
- मिश्रा, आर. पी. (2016), भारत का संविधान, जबलपुर : जबलपुर लॉ पब्लिकेशन, प्रथम संस्करण, पृ. 14
- महरोत्रा, एम. एवं शर्मा, एम. (2012), शिक्षा का अधिकार, नई दिल्ली : प्रभात पेपरबैक्स, प्रथम संस्करण पृ. 90–100
- राय, पी. एवं राय, सी. पी. (2013), अनुसंधान परिचय, आगरा : लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, त्रयोदश संस्करण, पृ. 285
- शर्मा, प्रो. डी. पी. (2014), हमारा शिक्षा संकट (शिक्षा अधिकार के संदर्भ में), जयपुर : साहित्य चंद्रिका प्रकाशन, प्रथम संस्करण पृ. 34
- सिंह, ए. के. (2009), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, दिल्ली : मोतीलाल, बनारसी दास, सातवां संस्करण, पृ. 46–54
- सद्गोपाल, डा. ए. (2009), संसद में शिक्षा का अधिकार छिनने वाला बिल 'बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2008' पर सार्वजनिक बहस की जरूरत, भोपाल : किशोर भारती सरोकार, दूसरा संस्करण, पृ. 10–11
- वर्मा, जे. के. (2013), शिक्षा का अधिकार 'शिक्षा का अधिकार कानून संबंधी सविस्तार विश्लेषण', दिल्ली : राजा पॉकेट बुक्स, प्रथम संस्करण पृ. 34
- रायजादा, आर. (2012), शिक्षा का अधिकार और स्कूली शिक्षा की जनउपलब्धता, स्वीकार्यता एवं सामंजस्यता, भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष 32 (3), 48–64
- Chacha, G. and Zhong, Y. (2013), The challenges of Primary Education Level in TanZania, Journal of Research in Humanities and Social Science, Volume 16 (3), 01-06
- Prasad, B. (2013), Right to Education, The Journal of Indian Thought and Policy Research, Year 3(1-2), 73-76
- Sampath K.D. (2012), Recent Reforms in Education in India- Achievements and Unfinished Tasks, International Journal of Social Science and Interdisciplinary Research, Volume 1(8), 82-94
- http://www.right-to-education.org/sites/r2e.gn.apc.org/files/Shantanu_Gupta_RTE%20in%20India.pdf
- <http://www.unesco.org/education/information/wer/PDFeng/wholewer.PDF>
- http://www.iejee.com/3_1_2010/1_3.pdf
- http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1542676
- http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1312426
- <http://www.census2011.co.in/census/district/324-balaghat.html>

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal

For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- ★ International Scientific Journal Consortium
- ★ OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org